भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6122

जिसका उत्तर 01 अप्रैल, 2026 को दिया जाना है।

11 चैत्र, 1948 (शक)

यूपीआई से जुड़े धोखाधड़ी और वित्तीय घोटालों में वृद्धि

6122. श्री सौमेंदु अधिकारीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यूनिफाइड पेमेण्ट इंटरफेस (यूपीआई), जहाँ वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेनदेन 230 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड मूल्य पर पहुंच गया है, से जुड़ी धोखाधड़ी और वित्तीय घोटालों में वृद्धि दर्ज की है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वार्षिक रूप से रिपोर्ट की गई ऐसी घटनाओं की कुल संख्या कितनी है और उपयोगकर्ताओं को कुल कितनी अनुमानित वित्तीय हानि हुई है;

(ग) सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा यूपीआई लेनदेन की सुरक्षा संरचना को मजबूत करने और धोखाधड़ी बाली गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) वित्तीय वर्ष 2023-24 से आज तक ऐसी घटनाओं से प्राप्त कुल कितनी धोखाधड़ी वाली राशि का सफलतापूर्वक रक्षोपाय किया गया है या साइबर शिकायत पीड़ितों को वापस की गई है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): सरकार माननीय प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य कर रही है, जिसमें प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करना और उसे जनसंख्या के व्यापक स्तर पर उपयोग में लाना शामिल है। इस दिशा में इंटरनेट तक पहुँच का विस्तार किया गया है और उसे अधिक किफायती बनाया गया है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का दृष्टिकोण इस प्रयास का एक प्रमुख स्तंभ है। इसने आधार, यूपीआई और डिजीलॉकर जैसे खुले, परस्पर-संचालित और सुरक्षित प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े पैमाने पर सेवाओं वितरण को सक्षम बनाया है।

<u>बढ़ते हुए यूपीआई लेनदेन</u>

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) भारत की रियल-टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है। फरवरी 2026 में इसने 20.394 बिलियन लेनदेन संभाले, जिनकी कुल राशि 26.842 लाख करोड़ रुपये रही।

देश में डिजिटल भुगतान लेनदेन बढ़ने के साथ-साथ धोखाधड़ी और वित्तीय घोटालों की घटनाएँ भी सामने आई हैं। यूपीआई लेनदेन की सुरक्षा को सुदृढ़ करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे:

- उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर और डिवाइस के बीच डिवाइस बाइंडिंग
- सभी लेनदेन के लिए दो-स्तरीय प्रमाणीकरण (यूपीआई पिन)
- लेनदेन सीमा और उपयोग-आधारित प्रतिबंध
- एनपीसीआई और बैंकों द्वारा नियोजित एआई/एमएल आधारित धोखाधड़ी पहचान प्रणाली
- संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने के लिए रियल-टाइम निगरानी और चेतावनी प्रणाली

एनपीसीआई ने बैंकों के लिए धोखाधड़ी निगरानी समाधान भी सक्षम किया है और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), गृह मंत्रालय के साथ वास्तविक समय डेटा साझा करने की सुविधा प्रदान की है। इससे धोखाधड़ी वाले खातों की समय पर पहचान और निवारक कार्रवाई संभव हुई है।

इसके अलावा, सुरक्षित डिजिटल पद्धतियों के बारे में प्रयोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और सरकारी एजेंसियों द्वारा एसएमएस अलर्ट, मीडिया आउटरीच और जन सलाह के माध्यम से नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) और हेल्पलाइन 1930 प्रचालित किए गए हैं। इससे बैंकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय से धोखाधड़ी निधि को रोकने और उनकी वसूली के लिए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद मिली है।

इन उपायों का सामूहिक रूप से उद्देश्य यूपीआई की सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करना, धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करना और डिजिटल भुगतान में उपयोगकर्ता सुरक्षा बढ़ाना है।
